



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15072026-274518
CG-DL-E-15072026-274518

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 553]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 10, 2026/आषाढ 19, 1948

No. 553]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 10, 2026/ASHADHA 19, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 611(अ).— केंद्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 188 की उपधारा (1) और (2) और धारा 192 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 195 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वाणिज्य पोत परिवहन (तेल प्रदूषण से क्षति हेतु नागरिक दायित्व) नियम, 2008 को उन बातों से सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (तेल प्रदूषण से क्षति हेतु नागरिक दायित्व) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना- जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, ये नियम निम्नलिखित पर लागू होंगे, -

(क) प्रत्येक भारतीय पोत, जहां कहीं भी वह हो; और

(ख) प्रत्येक पोत, भारतीय पोत से भिन्न, जब वह भारत में किसी पत्तन या स्थान पर है, जिसके अंतर्गत तटीय जल भी है

किंतु, यह युद्धपोतों, नौसेना सहायक या किसी राज्य की सरकार के स्वामित्व या संचालित अन्य पोतों पर लागू नहीं होगा, जिसका उपयोग तत्समय केवल गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

3. परिभाषाएँ - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो, -

- (क) "अधिनियम" से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) अभिप्रेत है;
- (ख) "नागरिक दायित्व अभिसमय" का अर्थ है तेल प्रदूषण से क्षति पर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक दायित्व अभिसमय, 1992, यथा संशोधित अभिप्रेत है;
- (ग) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न एक प्ररूप अभिप्रेत है; और
- (घ) "टन भार" से सकल टन भार अभिप्रेत है, जिसकी गणना अधिनियम के अधीन बनाए गए लागू नियमों के अनुसार की जाती है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित किंतु अधिनियम में परिभाषित, शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा, जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।

4. अनिवार्य बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा- (1) प्रत्येक पोत का स्वामी, माल के रूप में दो हजार टन से अधिक तेल भारी मात्रा में ले जाने वाले पोतों के संबंध में अधिनियम की धारा 181 के अधीन विनिर्दिष्ट रकम के लिए प्रदूषण क्षति हेतु अपने दायित्व को कवर करने के लिए एक बीमाकर्ता से बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा बनाए रखेगा।

(2) माल के रूप में थोक में दो हजार टन तक तेल ले जाने वाले प्रत्येक पोत का स्वामी ऐसे पोत के संबंध में, नागरिक दायित्व अभिसमय के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट रकम के लिए प्रदूषण क्षति के लिए अपने दायित्व को कवर करने के लिए बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा बनाए रखेगा।

(3) प्रत्येक पोत, जिस पर उपनियम (1) या (2) लागू होते हैं, अधिनियम की धारा 188 के अधीन विनिर्दिष्ट दायित्व की सीमाओं से कम रकम के लिए बीमा का प्रमाण पत्र या अन्य वित्तीय सुरक्षा बनाए रखेगा।

5. बीमा प्रमाणपत्र या अन्य वित्तीय सुरक्षा जारी करने या नवीनीकरण के लिए आवेदन- (1) भारतीय पोत का स्वामी, जिसने अधिनियम की धारा 188 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार ऐसे पोत के संबंध में बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा बनाए रखी है, बीमा प्रमाणपत्र या अन्य वित्तीय सुरक्षा जारी करने या नवीनीकरण के लिए संबंधित समुद्री वाणिज्यिक विभाग के प्रधान अधिकारी को, जहां ऐसा पोत रजिस्ट्रीकृत है, प्ररूप-क में आवेदन करेगा।

(2) भारतीय पोत से भिन्न किसी अन्य पोत का स्वामी या अभिकर्ता जो ऐसे देश में रजिस्ट्रीकृत है, जहां नागरिक दायित्व अभिसमय का पक्षकार नहीं है और जिसने ऐसे पोत के संबंध में बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा बनाए रखी है, वह बीमा प्रमाण पत्र या अन्य वित्तीय सुरक्षा जारी करने या नवीनीकरण के लिए प्ररूप - क में महानिदेशक को आवेदन करेगा, जिसकी जांच महानिदेशक द्वारा जारी करने के लिए संबंधित वाणिज्यिक समुद्री विभाग के प्रधान अधिकारी को भेजे जाने से पहले की जाएगी।

(3) उपनियम (1) और (2) के अधीन प्रत्येक आवेदन में प्ररूप-क में विनिर्दिष्ट विवरण शामिल होंगे और ऐसे बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा के रखरखाव के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य और नियम 10 में यथाविनिर्दिष्ट लागू फीस के संदाय की पुष्टि करने वाली रसीद भी साथ होगी।

6. बीमा प्रमाणपत्र या अन्य वित्तीय सुरक्षा जारी करना -(1) नियम 5 के उप-नियम (1) या (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने के बाद, संबंधित वाणिज्यिक समुद्री विभाग का प्रधान अधिकारी, संबंधित पोत के संबंध में बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा के रखरखाव के संबंध में समाधान होने पर, प्ररूप-ख में विनिर्दिष्ट अनुसार बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(2) जहां प्रधान अधिकारी बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा का प्रमाण-पत्र जारी करता है, वहां ऐसे प्रमाण-पत्र में निम्नलिखित विशिष्टियां, जहां लागू हो, शामिल किए जाएंगे, अर्थात्:

- (क) जहां वित्तीय सुरक्षा की कुल रकम एक से अधिक स्रोतों द्वारा प्रस्तुत की जाती है, वहां प्रत्येक द्वारा उपबंधित रकम को पृथक् रूप से उपदर्शित किया जाएगा;
- (ख) जहां वित्तीय सुरक्षा कई प्ररूपों में प्रस्तुत की जाती है, ऐसे प्ररूपों को प्रमाण पत्र में गिना जाएगा; और
- (ग) वित्तीय सुरक्षा की अवधि, उस अवधि को विनिर्दिष्ट करेगी जिसके लिए ऐसी बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा विधिमान्य है।

7. अनुलिपि प्रमाणपत्र - (1) जहां नियम 6 के अधीन जारी प्रमाण पत्र खो गया है, नष्ट हो गया है, चोरी हो गया है, विकृत हो गया है, विरूपित हो गया है या अपठनीय हो गया है, वहां यथास्थिति, स्वामी या अभिकर्ता, नियम 10 में यथाविनिर्दिष्ट फीस के संदाय पर एक अनुलिपि प्रमाण पत्र जारी करने के लिए, संबंधित वाणिज्यिक समुद्री विभाग के प्रधान अधिकारी को प्ररूप - ग में आवेदन कर सकता है, जहां मूल प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

(2) जहां उप-नियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट खोया हुआ प्रमाण पत्र बाद में स्वामी या उसके अभिकर्ता द्वारा खोजा या पाया जाता है, तो इसे वाणिज्यिक समुद्री विभाग के प्रधान अधिकारी को लौटा दिया जाएगा, जहां ऐसा प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

(3) इस नियम के उपबंध इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी किए गए प्रमाणपत्रों पर लागू नहीं होंगे।

8. अनुलिपि प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया - (1) जहां इन नियमों के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र खो जाता है, नष्ट हो गया है, चोरी हो गया है, विकृत हो गया है, विरूपित हो गया है या अपठनीय हो गया है, वहां स्वामी या अभिकर्ता, यथास्थिति, बिना किसी देरी के संबद्ध वाणिज्यिक समुद्री विभाग के प्रधान अधिकारी को लिखित में इसकी सूचना देगा।

(2) प्रमाणपत्र खो जाने या नष्ट हो जाने या चोरी हो जाने की स्थिति में, स्वामी या अभिकर्ता निकटतम पुलिस स्टेशन में शिकायत या हानि रिपोर्ट दर्ज करेगा और उसकी एक प्रति संबद्ध वाणिज्यिक समुद्री विभाग के प्रधान अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(3) यथास्थिति, उप-नियम (1) या (2) के अधीन प्रस्तुत कोई भी रिपोर्ट, स्पष्ट रूप से पोत का नाम और पोत की विशिष्टियां, खोए हुए प्रमाण पत्र का प्रकार, नाम और संख्या, और ऐसी हानि की परिस्थितियों, तारीख और स्थान का कथन करेगी।

(4) प्रमाण पत्र के विरूपित या अपठनीय होने की स्थिति में, मूल प्रमाण पत्र संबद्ध वाणिज्यिक समुद्री विभाग के प्रधान अधिकारी को अभ्यर्पित किया जाएगा।

(5) उप-नियमों (1), (2) और (3) के अनुपालन के पश्चात, संबद्ध पोत का स्वामी या अभिकर्ता नियम 10 में यथाविनिर्दिष्ट फीस के साथ एक अनुलिपि प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन कर सकता है, और ऐसे आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज होंगे, अर्थात्: -

(क) उपनियम (1) और (2) में विनिर्दिष्ट रिपोर्ट की एक प्रति; और

(ख) इस प्रभाव का एक वचनपत्र कि मूल प्रमाण पत्र के बाद में पता लगने या बरामद होने की स्थिति में, उसे संबंधित वाणिज्यिक समुद्री विभाग के प्रधान अधिकारी को अभ्यर्पित किया जाएगा।

(6) जहां संबद्ध पोत का स्वामी या अभिकर्ता उपनियम (1) या (2) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहता है, यथास्थिति, ऐसा स्वामी या अभिकर्ता गुम हुए प्रमाण पत्र के किसी भी दुरुपयोग, कपटपूर्ण प्रतिनिधित्व या अनुचित उपयोग के लिए दायी रहेगा।

(7) इन नियमों के अधीन जारी किए गए अनुलिपि प्रमाण पत्र में मूल प्रमाण पत्र के समान विधिक शक्ति और विधिमान्यता होगी और इसमें एक अनुमोदित कथन होगा- "अनुलिपि - मूल के गुम हो जाने के बदले जारी किया गया"।

9. विदेशी निर्णयों के प्रवर्तन की प्रक्रिया - अधिनियम की धारा 192 की उपधारा (1) के अधीन मान्यता प्राप्त कोई भी निर्णय, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और नावधिकरण (समुद्री दावा की अधिकारिता और निपटारा) अधिनियम, 2017 के उपबंधों के अनुसार भारत में लागू होगा।

10. फीस- (1) नियम 5 के अधीन बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ धारा 188 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार दस हजार रुपये की फीस भी साथ होगी।

(2) नियम 5 के अधीन बीमा प्रमाणपत्र या अन्य वित्तीय सुरक्षा के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ धारा 188 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार दस हजार रुपये की फीस भी साथ होगी।

(3) नियम 7 के अधीन अनुलिपि प्रमाण पत्र के लिए प्रत्येक आवेदन, दो हजार रुपये की फीस का संदाय करने पर, स्वामी या अभिकर्ता को जारी किया जाएगा।

(4) इस नियम में उल्लिखित फीस में केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित रकम से पुनरीक्षित किया जा सकता है।

11. खाते की इकाइयाँ- (1) नागरिक दायित्व अभिसमय में निर्दिष्ट खाते की इकाइयाँ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि द्वारा परिभाषित विशेष आहरण अधिकार हैं।

(2) अधिनियम की धारा 182 के अधीन निधि के गठन की तारीख को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अवधारित अनुसार विशेष आहरण अधिकार में लेखा इकाइयों को भारतीय रुपये में आधिकारिक मूल्य में रूपए के अनुसार परिवर्तित किया जाएगा।

प्ररूप - क

(नियम 5 देखिए)

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 की धारा 188 के अधीन बनाए गए बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन का प्ररूप:

1. पोत का नाम:
2. विशिष्ट संख्या या अक्षर:
3. रजिस्ट्री का पत्तन:
4. स्वामी या अभिकर्ता का नाम और पता:
5. (i) सकल टन भार:
(ii) शुद्ध टन भार:
(रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रतिलिपि संलग्न करें)
6. (क) अनुरक्षित बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा की विशिष्टियां:
(बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा के रखरखाव को दिखाने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)

(ख) विधिमान्यता की अवधि:
(विधिमान्यता की अवधि दिखाने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)
7. संदत्त फीस (रुपये में):
(फीस के सफल संदाय को दिखाने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)

मैं एतद्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ कि इस प्ररूप में दी गई विशिष्टियां मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप तदनुसार बीमा प्रमाणपत्र या अन्य वित्तीय सुरक्षा जारी करें।

मुझे स्वामी द्वारा यह आवेदन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है (किसी अभिकर्ता की दशा में)।

स्थान:

तारीख:

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम

- यदि लागू नहीं है तो काट दें।
- कोई भी विद्यमान या अवसन्नित प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा।

प्ररूप - ख

(नियम 6 देखिए)

(वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 के अधीन वाणिज्यिक समुद्री विभाग के प्रधान अधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्ररूप)

नागरिक तेल प्रदूषण से क्षति के लिए दायित्व के संबंध में बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा का प्रमाणपत्र

तेल प्रदूषण क्षति के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय 1992 के अनुच्छेद 7 के उपबंधों के अनुसार जारी किया गया

पोत का नाम	विशिष्ट संख्या या अक्षर	रजिस्ट्री का पत्तन	स्वामी का नाम और पता

यह प्रमाणित किया जाए कि उपर्युक्त नामित पोत के संबंध में नियम 4 या तेल प्रदूषण क्षति के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय 1992 के अनुच्छेद 7 की अपेक्षाओं का समाधान करने वाली बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा की पॉलिसी लागू है।

सुरक्षा का प्रकार

.....

सुरक्षा की अवधि

.....

बीमाकर्ता (ओं) या प्रत्याभूतिदाता (ओं) का नाम और पता

नाम

पता:

इस प्रमाणपत्र की विधिमान्यता अवधि:..... तक है

भारत सरकार द्वारा जारी या प्रमाणित किया गया

.....

(राष्ट्र का पूर्ण पदनाम)

(स्थान) (तारीख)

.....

जारी करने या प्रमाणित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम

प्ररूप - ग*(नियम 7 देखिए)*

(वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 के अधीन बनाए रखे जाने वाले बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा के अनुलिपि प्रमाण पत्र के लिए आवेदन का प्ररूप)

1. पोत का नाम:
2. विशिष्ट संख्या या अक्षर:
3. रजिस्ट्री का पत्तन:
4. स्वामी या अभिकर्ता का नाम और पता:
5. (i) सकल टन भार:
(ii) शुद्ध टन भार:
(रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रतिलिपि संलग्न करें)
6. (क) अनुरक्षित बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा की विशिष्टियां
(बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा के रखरखाव को दिखाने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)
(ख) विधिमान्यता की अवधि:
(विधिमान्यता की अवधि दिखाने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)
7. संदत फीस (रुपये में):
(फीस के सफल संदाय को दिखाने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)

मैं एतद्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप में अंतर्विष्ट विशिष्टियां मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य और सही हैं और नियम 4 में वर्णित बीमा प्रमाण पत्र निम्नलिखित परिस्थितियों में विकृत या नष्ट या अन्यथा खो गया था: -

.....

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप तदनुसार बीमा प्रमाणपत्र की एक प्रतिलिपि जारी करें। मुझे स्वामी द्वारा यह आवेदन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है (किसी अभिकर्ता की दशा में)।

स्थान : _____

तारीख : _____

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम:

पता:

- यदि लागू नहीं है तो काट दें
- आवेदन के साथ संलग्न किया जाने वाला विकृत प्रमाणपत्र

[फा. सं. SY-19014/192/2025-MG-Part(2)]

मुकेश मंगल, अपर सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 2026

G.S.R. 611(E).— In exercise of the powers conferred by, sub-sections (1) and (2) of section 195 read with sub-sections (1) and (2) of section 188 and sub-section (2) of section 192 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025) and in supersession of the Merchant Shipping (Civil Liability for Oil Pollution Damage) Rules, 2008, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely: —

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Merchant Shipping (Civil Liability for Oil Pollution Damage) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. — Unless otherwise specified, these rules shall apply to, —

- (a) every Indian ship, wherever it may be; and
- (b) every ship, other than an Indian ship, while it is at any port or place in India, including the coastal waters,

but shall not apply to warships, naval auxiliary or other ships owned or operated by the Government of any State and used for the time being, only for non-commercial purposes.

3. Definitions. — (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

- (a) “Act” means the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025);
- (b) “civil liability convention” means the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992, as amended;
- (c) “Form” means a Form appended to these rules; and
- (d) “tonnage” means the gross tonnage, calculated in accordance with the applicable rules made under the Act.

(2) The words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

4. Compulsory insurance or other financial security. — (1) The owner of every ship carrying more than two thousand tons of oil in bulk as cargo shall in respect of such a ship maintain an insurance or other financial security from an insurer to cover their liability for pollution damage for the amount specified under section 181 of the Act.

(2) The owner of every ship carrying up to two thousand tons of oil in bulk as cargo shall in respect of such a ship maintain an insurance or other financial security to cover their liability for pollution damage for the amount specified under the provisions of the civil liability convention.

(3) Every ship to which sub-rules (1) or (2) apply shall maintain a certificate of insurance or other financial security for an amount not less than the limits of liability specified under section 188 of the Act.

5. Application for issue or renewal of a certificate of insurance or other financial security. — (1) The owner of an Indian ship, who has maintained insurance or other financial security in respect of such ship, in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 188 of the Act, shall make an application in Form - A to the principal officer of the concerned Mercantile Marine Department where such ship is registered, for issue or renewal of certificate of insurance or other financial security.

(2) The owner or agent of any ship, other than an Indian ship, registered in a country which is not a party to the civil liability convention, and who has maintained insurance or other financial security in respect of such ship, shall make an application in Form - A to the Director-General for issue or renewal of a certificate of insurance or other financial security, which shall be examined by the Director-General prior to being forwarded to the principal officer of the concerned Mercantile Marine Department for issuance.

(3) Every application under sub-rules (1) and (2) shall contain such particulars as specified in Form - A and be accompanied by documentary evidence regarding maintenance of such insurance or other financial security and a receipt confirming payment of the applicable fee as specified in rule 10.

6. Issuance of certificate of insurance or other financial security. — (1) After receipt of an application under sub-rules (1) or (2) of rule 5, the principal officer of the concerned Mercantile Marine Department shall, on being satisfied about the maintenance of insurance or other financial security in respect of the ship concerned, issue a certificate of insurance or other financial security as specified in Form - B.

(2) Where the principal officer issues a certificate of insurance or other financial security, the following particulars, where applicable, shall be included in such certificate, namely:—

- (a) where the total amount of financial security is furnished by more than one source, the amount provided by each shall be separately indicated;

(b) where the financial security is furnished in several forms, such forms shall be enumerated in the certificate; and

(c) the duration of the financial security which shall specify the period for which such insurance or other financial security is valid.

7. Duplicate certificate. — (1) Where the certificate issued under rule 6 is lost, destroyed, stolen, mutilated, defaced or rendered illegible, the owner or the agent, as the case may be, may apply in Form - C to the principal officer of the concerned Mercantile Marine Department where the original certificate was issued, for issuance of a duplicate certificate on payment of the fee as specified in rule 10.

(2) Where a lost certificate, as specified in sub-rule (1), is subsequently traced or found by the owner or his agent, it shall be returned to the principal officer of the Mercantile Marine Department where such certificate was issued.

(3) The provisions of this rule shall not apply to certificates issued in electronic form.

8. Procedure for issuance of a duplicate certificate. — (1) Where a certificate issued under these rules is lost, destroyed, stolen, mutilated, defaced or rendered illegible, the owner or the agent, as the case may be shall, without delay, report the same in writing to the principal officer of the concerned Mercantile Marine Department.

(2) In the event of the certificate being lost or destroyed or stolen, the owner or the agent shall lodge a complaint or loss report with the nearest police station and shall submit a copy thereof to the principal officer of the concerned Mercantile Marine Department.

(3) Any report furnished under sub-rules (1) or (2), as the case may be, shall clearly state, *inter alia*, the name and particulars of the ship, the type, name and number of the lost certificate, and the circumstances, the date and place of such loss.

(4) In the event of the certificate being defaced, mutilated, or rendered illegible, the original certificate shall be surrendered to the principal officer of the concerned Mercantile Marine Department.

(5) After compliance with sub-rules (1), (2), and (3), the owner or agent of the concerned ship may apply for issuance of a duplicate certificate, along with the fee as specified in rule 10, and such application shall be accompanied with the following documents, namely:—

(a) a copy of the report specified in sub-rules (1) and (2); and

(b) an undertaking to the effect that, in the event the original certificate is subsequently traced or recovered, the same shall be surrendered forthwith to the principal officer of the concerned Mercantile Marine Department.

(6) Where the owner or agent of the concerned ship fails to submit a report under sub-rules (1) or (2), as the case may be, such owner or agent shall remain liable for any misuse, fraudulent representation or improper use of the lost certificate.

(7) A duplicate certificate issued under these rules shall have the same legal force and validity as the original certificate and shall bear an endorsement stating “*Duplicate - Issued in lieu of Original Lost*”.

9. Procedure for enforcement of foreign judgments. — Any judgment, recognised under sub-section (1) of section 192 of the Act, shall be enforceable in India in accordance with the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 and the Admiralty (Jurisdiction and Settlement of Maritime Claims) Act, 2017, as applicable.

10. Fees. — (1) Every application for the issue of a certificate of insurance or other financial security under rule 5 shall be accompanied by a fee of ten thousand rupees, in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 188.

(2) Every application for the renewal of the certificate of insurance or other financial security under rule 5 shall be accompanied by a fee of ten thousand rupees, in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 188.

(3) Every application for a duplicate certificate under rule 7 shall be issued to the owner or agent, as the case may be, on payment of a fee of two thousand rupees.

(4) The fees referred to in this rule may be revised by the Central Government by such amount as may be notified.

11. Units of account. — (1) The units of account referred to in the civil liability convention are the Special Drawing Rights, as defined by the International Monetary Fund.

(2) The units of account shall be converted into Indian rupees according to the official value in rupees of the Special Drawing Right as determined by the Reserve Bank of India on the date of constitution of the fund under section 182 of the Act.

Form - A*(See rule 5)*

Form of application for certificate of insurance or other financial security maintained under section 188 of the Merchant Shipping Act, 2025:

8. Name of the ship :
9. Distinctive number or letters :
10. Port of registry :
11. Name of owner or agent and address :
12. (i) Gross Tonnage :
 (ii) Net Tonnage :
 (Attach a photocopy of Certificate of registry)
13. (a) Particulars of Insurance or other financial security maintained :
 (Attach documentary evidence to show maintenance of insurance or other financial security)
- (b) Period of validity :
 (Attach documentary evidence to show period of validity)
14. Fee paid (in Rupees) :
 (Attach documentary evidence to show successful payment of the fee)

I hereby solemnly declare that the particulars given in this form are true and correct to the best of my knowledge and belief. I request you to issue Certificate of Insurance or other Financial Security accordingly.

I have been authorised by the owner to make this application *(in case of an agent)*.

Place:.....

Date:.....

Signature of Applicant
Name:

- *Strike out if not applicable.*
- *Any existing or expired certificate shall be enclosed*

Form - B*(See rule 6)*

(Form of certificate to be issued by the principal officer, Mercantile Marine Department under the Merchant Shipping Act, 2025)

**CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL SECURITY IN RESPECT OF CIVIL
LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE**

Issued in accordance with the provisions of Article VII of the International Convention on Civil Liability for Oil
Pollution Damage 1992

Name of ship	Distinctive Number or letters	Port of registry	Name and address of owner

This is to certify that there is in force in respect of the above-named ship a policy of insurance or other financial security satisfying the requirements of rule 4 or Article VII of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1992.

Type of Security

.....

Duration of Security

.....

Name and Address of the Insurer(s) or Guarantor(s)

Name

Address:

This certificate is valid until:

Issued or certified by the Government of India

.....

(Full designation of the State)

At On

(Place)..... (Date).....

.....

Signature and Title of issuing or certifying official

FORM - C*(See rule 7)*

(Form of application for a duplicate certificate of insurance or other financial security to be maintained under the Merchant Shipping Act, 2025)

1. Name of ship :
2. Distinctive number or letters :
3. Port of registry :
4. Name of owner or agent and address :
5. (i) Gross Tonnage :
(ii) Net Tonnage :
(Attach a photocopy of the certificate of registry)
6. (a) Particulars of insurance or other financial security maintained
(Attach documentary evidence to show maintenance of insurance or other financial security)
(b) Period of validity :
(Attach documentary evidence to show period of validity)
7. Fee paid (in Rupees) :
(Attach documentary evidence to show successful payment of the fee)

I hereby solemnly declare that the particulars contained in this form are true and correct to the best of my knowledge and that the certificate of insurance described in rule 4 was defaced or destroyed or otherwise lost under the following circumstances:-

.....

I request you to issue a duplicate Certificate of Insurance accordingly. I have been authorised by the owner to make this application (in case of an agent).

Place :.....

Date :.....

Signature of Applicant

Name :

Address :

- Strike out if not applicable
- Defaced certificate to be attached to the application

[F. No. SY-19014/192/2025-MG-Part(2)]

MUKESH MANGAL, Addl. Secy.